

187/24  
28/11/24

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

दिनांक :- 28/11/2024

क्रमांक/राजस्व/2024/ 3703

आदेश

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मौजा रामदेव मंदिर के खातेदारी खसरा संख्या 473/20, 653/23, 471/19, 458/5, 18 किस्म बा.सो एवं बा.दो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में रास्ते का अंकन नहीं है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार A व B अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज-6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा हेक्टर	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टर	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरे का रकबा हेक्टर
1	रामदेव मंदिर	473/20	1.2950	बा.दो.	0.0486	1.2464
		653/23	4.4596	बा.दो.	0.0162	4.4434
		471/19	17.2072	बा.सो.	0.0971	17.1101
		458/5	9.1702	बा.सो.	0.1214	9.0488
		18	16.5435	बा.सो.	0.1457	16.3978

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मोके पर स्थायी रूप से चल रहे कदीमी/बारहमासी रास्ता जो हर मौसम/ऋतु के अनुसार बदलता नहीं है एवं वर्ष भर आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध रहता है जो वर्तमान में चालु है तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में भी रास्ते हेतु उपयोग हेतु ली जा रही है।

अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शों में A से B तक निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शों व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर संलग्न नक्शों में A से B तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर पालना से अवगत करावे।

क्रमांक : सीडर/2024/3704-05

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर
2. पटवारी हल्का चाडार मदरूप।

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी रामसर  
दिनांक : 28/11/2024

उपखण्ड अधिकारी रामसर  
उपखण्ड अधिकारी  
रामसर